भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–170 / 2018–19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
27.02.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 23.03.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 23.03.2019 को उपस्थापित करें । 27.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
23.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 24.04.2019 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 24.04.2019 को उपस्थापित करें । 23.3.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	आदेश	
24.04.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक– 224, दिनांक– 16.04.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **लक्ष्मण मुर्मू** , पिता/पति– **भादव मुर्मू**, जाति– **संथाल (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम– **राघोई**, थाना– **सोनुवा**, जिला **प॰ सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **वार्ड नं0–15, चक्रधरपुर**, थाना– **चक्रधरपुर**, खाता नं०– **77**, प्लॉट नं0– **78(a)**, रकवा– **5 डी0 250 वर्गकड़ी** आवासीय भूमि क्रेता **लालमनी मुंडारी**, पिता/पति– ~~**टकन**~~ टाकन **होनहागा**, जाति– **मुण्डा (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम– **जेनाबेड़ा**, थाना– ~~**सोनुवा**~~ चक्रधरपुर, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **लक्ष्मण मुर्मू** , पिता/पति– **भादव मुर्मू**, जाति– **संथाल (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम– **राघोई**, थाना– **सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** पंजी-II रैयत है के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता थाना **सोनुवा** के निवासी हैं एवं क्रेता थाना– चक्रधरपुर के निवासी हैं साथ ही बिक्री की जाने वाल भूमि थाना– चक्रधरपुर के अंतर्गत आता है। बिक्रेता का जति **संथाल (अ॰ज॰जा॰)**, एवं क्रेता का जाति **मुण्डा (अ॰ज॰जा॰)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिकेता उक्त वर्णित भूमि किडनी ट्रांसप्लांट कराने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 21.23 ए0** अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **लक्ष्मण मुर्मू** , पिता/पति– **भादव मुर्मू**, जाति– **संथाल (अ॰ज॰जा॰)**, ग्राम– **राघोई**, थाना– **सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम**। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 24.4.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	